CNR NO.– UPVR010056032026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश **(**एस **0** सी**0**/एस **0** टी**0)** एक्ट**,**वाराणसी।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या- **1849** सन् **2026**

दीपू उर्फ मो० आदिल पुत्र लूजे टेलर उर्फ अली अहमद, निवासी मकान नंबर सा-22/150 पुराने पुल, पुलकोहना, थाना- सारनाथ, जिला वाराणसी।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उ 0 प्र 0 राज्य .....अभियोजक।

मु०अ०सं०-287/2026
धारा- 352, 115(2),109(1),351(3) BNS
3(1)(द),3(1)(ध),3(2)(V)एस.सी./एस.टी. एक्ट,
थाना-सारनाथ, जिला-वाराणसी।

दिनांक-**03.06.2026**

आवेदक/अभियुक्त दीपू उर्फ मो० आदिल की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- 352, 115(2),109(1),351(3) BNS एवं धारा-3(1)(द),3(1)(ध),3(2)(V)एस.सी./एस.टी. एक्ट दाखिल किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 31.05.2026 समय करीब 5.30 बजे बजरंग वाटिका के पिछे पुरानापुल में लड़के क्रिकेट खेल रहे थे खेलने के दौरान दो पक्षो में कहासुनी व विवाद हो रहा था जैसे ही मुझे जानकारी मिली तो मैं तत्काल मौके पर पहुँचा तो दोनो पक्ष आपस में विवाद कर रहे थे दोनो पक्षो को मैं समझाने लगा तब तक विपक्षीगड़ टीपू उर्फ अदिल पुत्र लूजे टेलर, नसीर पुत्र इसराइल, अनीस पुत्र लूजे टेलर व ढोलू पुत्र बुद्ध निवासीगड़ पुरानापुल थाना सारनाथ वाराणसी ने अचानक विकेट व लाठी डण्डे आदि से खटिक साले भोसड़ी वाले व माँ बहन की भद्दी भद्दी गालिया देते हुए जान से मारने की नीयत से प्रहार कर दिये जिससे मेरे सिर में गम्भीर चोटे आयी है उसके बाद विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गये उक्त घटना को आस-पास के लोगो ने भी देखा है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र में जमानत का यह आधार लिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। मु.अ.सं. उपरोक्त में वर्णित अपराध अन्तर्गत धारा 482 बी.एन. एस. की उपधारा के अन्तर्गत नहीं आते हैं। आवेदक/अभियुक्त को थाना सारनाथ, वाराणसी की पुलिस द्वारा मु.अ.सं. 287 सन् 2026 अन्तर्गत धारा 352,115(2),109(1), 351 (3) बी.एन.एस. व धारा 3 (1) द, 3 (1)घ, 3(2)V एस.सी./एस.टी.एक्ट थाना सारनाथ, वाराणसी की पुलिस द्वाराआवेदक अभियुक्त व उसके परिवार को परेशान करने व उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से गिरफ्तार किये जाने हेतु सुबह-शाम उसके घर पर दबिश दी जा रही है।आवेदक अभियुक्त व उसके परिवार को परेशान किया जा रहा है जिससे आशंकित होकर आवेदक/अभियुक्त यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

Digitally signed by SUDHAKAR RAI
Date: 2026.06.04 08:22:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आवेदक/अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित है। वादी द्वारा रंजिशन थाना पुलिस सारनाथ से साजिश कर मु.अ. सं. उपरोक्त में नामजद अभियुक्त बना दिया गया। आवेदक/ अभियुक्त द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया। मुकदमा वादीआवेदक अभियुक्त को पड़ोसी है। अभियुक्त के वर्ग विशेष के होने के कारण चुनावी रंजिश रखते हैं जिसके वजह सेआवेदक/अभियुक्त मुकदमा उपरोक्त में गलत तथ्यों के आधार पर स्थानीय पुलिस से साजिश कर मु.अ.सं. उपरोक्त में नामजद अभियुक्त बना दिया। अभियोजन कथानक का समर्थन चिकित्सीय प्रमाण पत्र भी नहीं करता है। सामान्य प्रकृति की चोटों को असमान्य प्रकृति की बनाकर स्थानीय पुलिस की साजिश से गम्भीर धाराओं में मु.अ.सं. उपरोक्त पंजीकृत करा दिया।आवेदक द्वारा उस दिन ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है जैसा कि पुलिस प्रपत्रों में पंजीकृत है। अभियोजन कथानक के अनुसार कथित दिन, दिनांक व समय परआवेदक उपस्थित ही नहीं था, न ही ऐसी किसी घटना के बारे में कोई जानकारी है। प्रथम सूचना पत्र विधिक राय व मसविरे से अंकित कराया गया है जिसमें रंचमात्र की सत्यता नहीं है। कथित घटना व मुकदमा पंजीकृत होने में अति विलम्ब है, जो वादी व पुलिस की साजिश व साठगाँठ को स्पष्ट रूप से इंगित करता है।आवेदक/ अभियुक्त अपने पिता के साथ कपड़ा सिलाई का कार्य करता है। आवेदक का परिवार अत्यन्त निर्धन व असहाय है, किसी तरह आवेदक के परिवार का जीविकोपार्जन हो रहा है। आवेदक/ अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त पता उपरोक्त का मूल निवासी है तथा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निवास करता है। आवेदक/अभियुक्त दौरान विवेचना, विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा, किसी भी प्रकार से साक्ष्य या साक्षी को प्रभावित नहीं करेगा। परिस्थिति उपरोक्त मेंआवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना अति आवश्यक व न्याय संगत है।

माननयी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था किरन बनाम राजकुमार जीवराज स्पेशल लीव पीटिशन क्रिमिनल सं०-8169/2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.सी./एस.टी. एक्ट अधिनियम की धारा-18 को वैध व कमजोर वर्ग के लिए उपयुक्त बताया गया है तथा यह भी अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय प्रथम दृष्टया एफ.आई.आर. में उल्लिखित कथन को पढ़कर ही निष्कर्ष निकाल सकती है। एफ.आई.आर. में विषय वस्तु और आरोप इस संबंध में निर्णायक होंगे। इसके अतिरिक्त प्रथम दृष्टया अपराध बनता है या नहीं। इस पर निर्णय लेते समय न्यायालय को सामान्य साक्ष्यों का सहारा लेना या अन्य सामग्रियों पर विचार करना नहीं होगा न ही न्यायालय लघु परीक्षण कर सकता है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

अवलोकन से विदित होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था साजन सकारिया बनाम स्टेट आफ केरल व अन्य **2025(2) JIC 728 (SC)** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि परिवाद/शिकायत व अन्य प्रपत्रों को देखने से प्रथम दृष्टया किसी मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

जनजाति(अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 से संबंधित कोई अपराध नहीं बनता है, तो धारा 18 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 का अवरोध लागू नहीं होता है और अभियुक्त को मेरिट पर अग्रिम जमानत दिया जा सकता है।

उपरोक्त दोनों विधि व्यवस्थाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 की धारा 18 को वैद्य और शोषित व वंचित वर्गों के लिए बनाया गया प्रावधान माना गया है, परंतु अगर एफ.आई.आर. के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 के तहत अपराध आकर्षित नहीं होता है, तो धारा 18 का अवरोध लागू नहीं होगा और अभियुक्त को केस के तथ्य एवं परिस्थितियों के अनुसार अग्रिम जमानत हेतु विचार किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में एफ.आई.आर. दिनांकित 31.05.2026 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा को अचानक विकेट व लाठी डण्डे आदि से मारते हुए जातिसूचक एवं माँ-बहन की भद्दी-भद्दी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दिये। अतः प्रथम दृष्टया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 की धारा 3(1)(द), 3(1)(ध) का अपराध बनता है। अतः प्रस्तुत मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण अधिनियम) 1989 की धारा 18 के अनुसार अग्रिम जमानत पोषणीय नहीं है। अतः अभियुक्त अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाने योग्य नहीं हैं। तदनुसार अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त दीपू उर्फ मो० आदिल द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं०-1849/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनांक-**03.06.2026**

(सुधाकर राय),
विशेष न्यायाधीश,
(एस 0 सी0/एस 0 टी0) एक्ट
वाराणसी।
J.O.Code-UP 6256